

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	4/10/2021	<p>आज यह पत्रावली प्रशासन गाँव के सभ में पेश हुई। प्राचीन एवं प्रतिकवादीगण उपस्थित व प्रतिकवादीगण ने स्वयं उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करने बावजूद सहायक व्यव की तथा प्रतिकवादीगण ने भी सहायक व्यव की पप्पुलाल पुत्र काग का वास्तविक नाम सहायक दस्तावेज में बाबुलाल पुत्र काग अंकित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में सहायक दस्तावेजात व तहसीलदार ऑफिस की स्पोर्ट का अवलोकन किया गया जिसमें यह अंकित किया गया है कि पप्पुलाल पुत्र काग काग के बाबुलाल पुत्र काग काग के नाम से भी जानते व पुकारते हैं दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तथा इसके पप्पुलाल पुत्र काग काग के स्थान पर बाबुलाल पुत्र काग काग अंकित किया जाना उचित समझते हैं।</p> <p>अतः उपरोक्त तथ्यों को एवं पत्रावली में सहायक दस्तावेजात का एवं तहसीलदार ऑफिस की स्पोर्ट के अनुसार पप्पुलाल पुत्र काग काग व बाबुलाल पुत्र काग काग एक ही व्यक्ति होने से राजस्व रिकॉर्ड में पप्पुलाल पुत्र काग काग के स्थान पर बाबुलाल पुत्र काग काग अंकित राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किए जाने के दुरुस्ती के अर्थ निर्णय</p>

अभिमान
सीताराम
अमल मिश्रा सैन

फर्द अहकाम

य

- बाबुलाल बनाम सरकार

संख्या / वर्ष

:

82 / 2020

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>किया जाता है / पचास डिग्री जारी है / पचासवीं फैमल शुगाह होकर दाखिल फर्दत है</p> <p>सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर</p>	

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाक्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर आमेर, मु0 जयपुर
पीठासीन अधिकारी अपर्णा शर्मा (आर.ए.एस)
प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021/कैम्प सिरसली

वाद संख्या 83/2020

निर्णय दिनांक 04.10.2021

1. बाबूलाल सैन पुत्र स्व. कानाराम सैन जाति नाई निवासी ग्राम सिरसली तहसील आमेर जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. मुरली पुत्र स्व0 काना
3. सीताराम पुत्र स्व0 काना।
समस्त जाति नाई निवासी ग्राम सिरसली तहसील आमेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद घोषणा एवं दुरुस्ती इन्द्राज

वादग्रस्त आराजी के भूमि खसरा नम्बर 18 रकबा 0.34 है0, खसरा नम्बर 41/1350 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 43 रकबा 0.46 है0 जिसके गत खसरा नम्बर 75, 76, 79, 94, 95 वाके ग्राम सिरसली तहसील आमेर जिला जयपुर के राजस्व रिकॉर्ड में पप्पुलाल पुत्र कानाराम के स्थान पर बाबुलाल पुत्र कानाराम किया जाकर घोषित किया जाता है।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 04.10.2021 को जारी किया ।

दस्तख्त—

ओहदा—

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रुपये	—	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रुपये	—
स्टाम्प वकालतनामा	2 रुपये	—	स्टाम्प वकालतनामा	2 रुपये	—
स्टाम्प वजह सबूत	—	—	स्टाम्प वजह सबूत	—	—
महन्ताना वकील	—	—	महन्ताना वकील	—	—
खर्चा गवाहन	—	—	खर्चा गवाहन	—	—
फीस कमिश्नर	—	—	फीस कमिश्नर	—	—
ववत् इजराय हुक्मानामा	4 रुपये	—	ववत् इजराय हुक्मानामा	4 रुपये	—
मुतफरित	—	—	मुतफरित	—	—
मीजान	—	—	मीजान	—	—